



# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर—302001

संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ़ी, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTE, E.I. & RRKM)

सम्पत्ति सिंह	जगदीश प्रसाद चौधरी	प्रह्लाद शर्मा	अरविंद व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो. 94133—44625	मो. 63752—01218	मो. 94140—56109	मो. 94143—96596
क्रमांक: रा. शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) / महामंत्री / 046			दिनांक—12.01.2022

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,  
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय :— CGHS के समान RGHS कटौती को आयकर की धारा 80 D के अंतर्गत छूट दिलवाने आदेश पारित करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का निवेदन है कि केंद्र सरकार के कार्मिकों को फाइनेंस एक्ट 2010 के स्पष्टीकरण व आदेश F-No-142/1/2011 के बिंदु संख्या 15 के अनुसार CGHS कटौती को आयकर की धारा 80D में छूट दी गई है। जिसकी अधिकतम सीमा 25000 रुपये वार्षिक है।

यह कि CGHS की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी समस्त राजकीय कर्मचारियों ( whether covered under old and new pension scheme) सहित सभी मंत्रियों, AIS अधिकारियों, MLAs, EX-MLAs, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों व ऑटोनोमस संस्थान के कार्मिकों के लिए कैश लेस स्वास्थ्य लाभ योजना RGHS (rajasthan government helth schame) वित्त विभाग (बीमा) के नोटिफिकेशन क्रमांक 5(5) FD/insurance/2020 जयपुर दिनांक 09.04.2021 द्वारा प्रारम्भ की गई है। (प्रति संलग्न है)

यह कि इस योजना में पंजीकरण दिनांक 10.04.2021 से प्रारम्भ किया जा चुका है तथा प्रीमियम कटौती माह जुलाई 2021 से प्रारम्भ हो चुकी है। (वित्त विभाग आदेश दिनांक 07.07.2021)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि CGHS की तर्ज पर राजस्थान के कार्मिकों के लिए RGHS कटौती को आयकर अधिनियम की धारा 80D में छूट दी जा सकती है। किंतु इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आदेश/निर्देश जारी नहीं किये जाने से कर्मचारियों व शिक्षकों में असमंजस की स्थिति से अनावश्यक आयकर अधिक चुकाना पड़ेगा।

संगठन का आग्रह है कि केंद्र सरकार की CGHS तथा राजस्थान सरकार की RGHS योजना समान है ऐसे में CGHS की तरह RGHS पर आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत छूट देने के प्रावधान का स्पष्टीकरण आदेश/निर्देश जारी करवाकर समस्त कर्मचारियों व शिक्षकों को राहत प्रदान करने का कष्ट करावे।

भवदीय

s/d

(अरविंद व्यास)

प्रदेश महामंत्री

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु —

- माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जनपथ जयपुर—302005
- आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान जयपुर कमरा नंबर 103 नए केंद्रीय राजस्व भवन, मूर्ति सर्किल जयपुर।

(अरविंद व्यास)  
प्रदेश महामंत्री  
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)